चीनी की स्टॉक सीमा छह महीने और बढ़ी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लगातार दो साल सूखा पड़ने की वजह से गन्ना फसलों के प्रभावित होने और चीनी के कम उत्पादन से कीमतें तेज हैं। मूल्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार ने चीनी की स्टॉक सीमा को छह महीने और बढ़ा दिया है। इससे जमाखोर और कालाबाजारी करने वालों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने यह फैसला लिया।

सरकार के इस कदम से जहां घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ जाएगी, वहीं बढ़ती कीमतों को रोकने में मदद मिलेगी। सीसीईए के इस फैसले से चीनी की स्टॉक सीमा की अवधि अक्टूबर, 2017 तक बढ़ जाएगी, जिससे व्यापारी, चीनी मिलें अथवा कोई और चीनी का स्टॉक निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं रख सकता है। स्टॉक को हर हाल में 30 दिन के भीतर बेचना भी जरूरी होगा। चालू पेराई सत्र में चीनी के कम उत्पादन से घरेलू बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आपूर्ति बनाए रखने के लिए ही सरकार ने पांच लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति भी दे दी है। घरेलू जिंस बाजार में चीनी के खुदरा मूल्य 42 से 44 रुपये प्रति किलो तक बोले जा रहे हैं। देश के कई गन्ना उत्पादक राज्यों में सूखा पड़ने से जहां गन्ने की पैदावार कम हुई है, वहीं चीनी का उत्पादन घटकर सतहत्तर पर आ गया है। इससे चीनी बाजार तेजी में है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीईए की बैठक में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के मसौदे पर मुहर लगा दी गई। मंत्रालय के प्रस्ताव में चीनी की स्टॉक सीमा को छह महीने और बढ़ाने की बात थी। उपभोक्ताओं को महंगी चीनी की मार से बचाने के लिए खाद्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। चीनी में कम उत्पादन का लाभ उठाकर कालाबाजारी करने वालों के सक्रिय होने की आशंका को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा के प्रावधानों के तहत फिलहाल 500 टन चीनी की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है, जिसे 30 दिन में बेचना जरूरी है। एक मात्र पश्चिम बंगाल राज्य में यह सीमा 100 टन है। देश में लगातार दूसरे साल चीनी के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। सालाना 240 से 250 लाख टन के मुकाबले चालू पेराई सत्र में लगभग 200 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जो पिछले सालों के मुकाबले कम है। इससे घरेलू मांग को पूरा करने में दिक्कत आएगी, जिसके लिए सरकार ने पांच लाख टन कच्ची चीनी के आयात का फैसला किया है।

Dainik Jagran.
20-4-17.

1/2